

21/5/20 लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित ।
 संबंधित जमावंदी हेतु का पुनः नोटिस निर्गत कर
 उपर्युक्त भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत
 लगान शर्तों की मांग करें । उनसे कारण पूछना करें कि
 क्यों नहीं जमावंदी का अवधि मानते हुए विचार
 (माह 2200) भूमि पुनर्जांच अधिनियम 1950 की धारा 4(h)
 के तहत सक्षम प्राधिकार को यह करने हेतु अनुमति
 किया जाए ।

अभिलेख दिनांक 09/06/2020 को उपस्थापित करें ।

09/06/2020
 14/07/20

अभिलेख उपस्थापित ।

21.05.2020
 अंचल अधिकारी

भूखण्ड द्वारा नोटिस जारी कर ^{कलियापुर} परिषद
 कार्यालय से हार्पेल देकर उपर्युक्त हुए तथा ^{भूमि}
 संबंधित मिट्टी लिखित राजस्व कागजात प्रस्तुत
 किया गया :- (1) लगान शर्तों का हार्पेल प्रती 1 व दोकरी
 प्रती 2 हार्पेल प्रती 3 जमावें का हार्पेल प्रती ।

भूखण्ड से उक्त राजस्व कागजात की मूल
 प्रती की मांग की गई परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः भूमि पुनर्जांच अधिनियम 1950 की
 धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को यह
 कार्य से अनुमति करने हेतु अभिलेख प्रती में
 भूमि पुनर्जांच उपस्थापित करने का मांग ।

14.07.2020
 अंचल अधिकारी
 कलियापुर